



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.-12, वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

वैधता अवधि 31.12.2017 हेतु मान्य

संदर्भ संख्या.....

सी-5/एन0ओ0सी0-615/13

दिनांक.....

सेवा में,

मै0 इम्मार एम.जी.एफ. लैण्ड लिमिटेड,
ग्राम- सरसंवा, अहिमामऊ, अरसेदामऊ-सुल्तानपुर रोड,
जिला - लखनऊ।

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने अनापत्ति प्रमाण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 27.02.12/30.10.13 का संदर्भ लें। उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृत किया जाता है।

1 अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।

(क) स्थल:

मै0 इम्मार एम.जी.एफ. लैण्ड लिमिटेड,
ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट 'लखनऊ ग्रीन्स'
ग्राम-सरसंवा, अहिमामऊ, अरसेदामऊ-सुल्तानपुर रोड,
जिला-लखनऊ।

(ख) उत्पादन:

91.61 हेक्टेयर पर आवासीय योजना
बिल्ट अप एरिया - 10,31,590,11 वर्गमीटर

(ग) मुख्य कच्चे माल:

गिट्टी , ईटा, सरिया, सीमेन्ट, मौरंग बालू इत्यादि।

(घ) औद्योगिक उत्प्रावह की मात्रा:

शून्य

(ङ) प्रयुक्त ईधन:

1430 के.वी.ए.

3 2000 के.वी.ए.

6 600 के.वी.ए.

19 250 के.वी.ए. डी0जी0 सेट पर

डीजल आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त विषय वस्तु में से किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा

- 2 इकाई में सभी आवश्यक यंत्र, सयंत्र हरित पट्टिका, उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र एस0टी0पी0 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
- 3 प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 31.01.2014 तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।
- 4 इकाई में 3800 के0एल0डी0 एस0टी0पी0 लगाया जाना सुनिश्चित करें तथा शुद्धिकृत घरेलू उत्प्रावह को शतप्रतिशत पुनः प्रयोग में लाया जाये। उत्प्रावह को परिसर के निकट से गुजरने वाले नाले में निस्तारित नहीं किया जाये। एस.टी.पी. का ले आउट प्लान 03 माह में प्रेषित करें।
- 5 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 22.01.2013 का अक्षरः पालन सुनिश्चित करें।
- 6 इकाई में नगरीय ठोस अपशिष्ट 16.06 मी0टन/दिन के सुरक्षित एकत्रण हेतु भूमि को चिह्नित कर वर्मी कम्पोस्टिंग एवं सैक्योर्ड लैण्ड फिल का प्रस्ताव तीन माह में प्रेषित किया जाये।
- 7 परियोजना का संचालन बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त कर ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 8 परियोजना में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जाये।
- 9 परियोजना में नियमानुसार ग्रीन बेल्ट की स्थापना की जाये।
- 10 परियोजना में बिना बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये हाट मिक्स प्लान्ट की स्थापना न की जाये।
- 11 परियोजना में विद्युत ऊर्जा की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सोलर पैनल एवं लाइट का प्रयोग करने का प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत करें।
- 12 परियोजना में प्रस्तावित डी.जी. सेट पर मानको के अनुरूप ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जाये तथा डी0जी0 सेट से जनित वेस्ट आयल प्राधिकृत संस्था को ही दिया जाये।

उपरोक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें शर्तों का अनुपालन न होने की दशा में उद्योग द्वारा प्रेषित रू0 10,00,000/- (रू0 दस लाख मात्र) बैंक गारन्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा, सकती है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 31.01.2014 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।

भवदीय,


सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं०

/एन. ओ. सी.

तद दिनांक

प्रतिलिपि:

क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(सर्किल-5)